

डिस्क्लेमर

परामर्श पत्र संख्या 21/2023-24 के मुख पृष्ठ, हितधारकों की टिप्पणियां, प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार और हितधारकों के परामर्श संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।



सत्यमेव जयते

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

मैसर्स इंडोथाई कालीकट प्राइवेट लिमिटेड (आईसीपीएल) की कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, कोझीकोड में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28) के लिए टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

जारी करने की तारीख : 01.12.2023

ऐरा भवन
प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली – 110003

हितधारकों की टिप्पणियां

प्राधिकरण ने मैसर्स इंडो थाई कालीकट प्राइवेट लिमिटेड (आईसीपीएल) द्वारा कोझीकोड अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, कोझीकोड के संबंध में प्रस्तुत बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव (एमवाईटीपी) में निर्धारित विभिन्न अनुमानों पर विचार करने के बाद यह परामर्श पत्र जारी किया है। तदनुसार टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर प्राधिकरण के प्रस्तावों को इस परामर्श पत्र में विस्तार से स्पष्ट किया गया है।

अतः ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(4) के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 01.12.2023 के परामर्श पत्र संख्या 21/2023-24 पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियां अधिमानतः इलैक्ट्रॉनिक रूप में निम्नलिखित पते पर आमंत्रित की जाती है:

निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी, टैरिफ)

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा),

ऐरा प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स, सफदरजंग हवाईअड्डा,

नई दिल्ली-110003, भारत

ई-मेल : satish.kr@aera.gov.in ; prabhjot.marwah@nic.in

प्रतिलिपि : director-ps@aera.gov.in ; secretary@aera.gov.in

हितधारकों की टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	22.12.2023
जवाबी टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	29.12.2023

टिप्पणियां और जवाबी टिप्पणियां ऐरा की वेबसाइट www.aera.gov.in पर डाली जाएंगी।

किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी, टैरिफ) से दूरभाष संख्या +91-11-24695048 पर संपर्क कर सकते हैं।

अध्याय 7 : प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार

मैसर्स आईसीपीएल द्वारा कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, कोझीकोड में प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित करने संबंधी संगत अध्यायों से संबंधित प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार हितधारक के परामर्श के लिए नीचे दिया गया है:

अध्याय	पैरा	प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार	पृष्ठ संख्या
अध्याय संख्या 2	2.7	प्राधिकरण स्वतंत्र सेवा प्रदाता द्वारा कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, कोझीकोड में प्रदान की जा रही ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में मैसर्स आईसीपीएल के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण कार्य को “लाइट टच अप्रोच” के अंतर्गत मानने का प्रस्ताव करता है क्योंकि विनियमित सेवा “मटीरियल नहीं” समझी जाती है।	9
अध्याय संख्या 3	3.9	प्राधिकरण तालिका 3 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए विमान यातायात (संचालित की जाने वाली उड़ानें) को मानने का प्रस्ताव करता है।	11
अध्याय संख्या 4	4.10	प्राधिकरण तालिका 4 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए अनुमानित कैपेक्स को मानने का प्रस्ताव करता है।	15
अध्याय संख्या 5	5.8	प्राधिकरण तालिका 6 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए ओपेक्स को मानने का प्रस्ताव करता है।	19
अध्याय संख्या 6	6.11	प्राधिकरण मैसर्स आईसीपीएल द्वारा कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, कोझीकोड में शेड्यूल्ड उड़ानों, अंतरराष्ट्रीय ‘नॉन शेड्यूल्ड और सामान्य विमानन उड़ानों’ के संबंध में प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए संलग्नक (I, II और III) के अनुसार टैरिफ दरों और ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में मद-वार टैरिफ दर कार्ड को मानने का प्रस्ताव करता है।	23
	6.12	प्राधिकरण यह प्रस्ताव करता है कि अंतरदेशीय ‘नॉन-शेड्यूल्ड और सामान्य विमानन उड़ानों’, के लिए टैरिफ समान श्रेणी के विमान(नों) के लिए संगत अंतरदेशीय शेड्यूल्ड उड़ानों के लिए अनुमोदित टैरिफ से अधिक नहीं होगी।	
	6.13	विदेशी मुद्रा में भुगतान किए जाने की स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक की पिछले माह की अंतिम तारीख को विद्यमान मुद्रा परिवर्तन दर माह के पहले पखवाड़े के लिए लागू होगी और माह की पंद्रह तारीख को विद्यमान दर दूसरे पखवाड़े के लिए लागू होगी।	
	6.14	प्राधिकरण यह प्रस्ताव करता है कि संलग्नक (I, II और III) में इंगित टैरिफ दरें वसूल की जाने वाली अधिकतम टैरिफ होंगी। अनुमोदित टैरिफ दरों के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रभार नहीं लगाया जाएगा।	
	6.15	प्राधिकरण यह प्रस्ताव करता है कि मैसर्स आईसीपीएल नागर विमानन मंत्रालय द्वारा इसके दिनांक 27.10.2022 के पत्र संख्या एवी-24011/10/2021-एएआई-एमओसीए द्वारा जारी निदेशों के अनुसार कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग उपस्कर के मानकीकरण का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।	

अध्याय 8 हितधारक से परामर्श

- 8.1 ऐरा अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के अनुसार उपर्युक्त अध्याय 7 में निहित प्राधिकरण के प्रस्ताव एतद्वारा हितधारकों के परामर्श के लिए प्रस्तुत हैं। हितधारकों की सार्थक और रचनात्मक ढंग से प्रस्तुति करने में उनकी सहायता करने के लिए परामर्श पत्र में आवश्यक संलग्नक (**संलग्नक-I, II और III**) लगाए गए हैं।
- 8.2 संदेह दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस परामर्श पत्र की विषय-वस्तु का इस प्राधिकरण के किसी आदेश या निदेश की तरह अर्थ न लगाया जाए। प्राधिकरण इस मामले में प्रत्युत्तर में हितधारकों से प्राप्त प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद और अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में टैरिफ आदेश में पूर्ण रूप से लिखित रूप में प्रमाणित और स्पष्ट निर्णय करने के बाद ही आदेश जारी करेगा।
- 8.3 प्राधिकरण उपर्युक्त अध्याय 7 में दिए गए प्रस्तावों पर हितधारकों के लिखित साक्ष्य-आधारित फीडबैक, टिप्पणियों और सुझावों का स्वागत करता है, जिन्हें अधिक से अधिक **22.12.2023** तक भेज दिया जाए।

सचिव,
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
ऐरा भवन, प्रशासनिक कॉम्पलेक्स, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली –110003.
फोन : 011 24695044-47 ; फैक्स 011-24695048

(अध्यक्ष)